

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14()2016/एफसीए/प्रमुवसं./387

दिनांक 03/02/24

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

विषय:-DIVERSION OF 4.62 HA. OF FOREST LAND FOR
CONSTRUCTION OF UPGRADATION RURAL ROAD
FROM T11-SUHAGPUR TO ACHALAWDA UPTO
BLOCK BORDER ROAD KM 0/0 TO 8/000
(Proposal no. FP/RJ/ROAD/127971/2021)

संदर्भ:-आपका पत्रांक 626 दिनांक 28.01.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में प्राप्त प्रतिउत्तर में निम्नांकित कमियों पायी गई, जो निम्नानुसार है:-

1. यूजर एजेन्सी द्वारा गैर वनभूमि का विवरण प्रस्तुत किया गया है प्रस्ताव में 5 है० गैर वनभूमि का आवंटन किया साथ में KML, DGPS Map, GTS Sheet Map, Suitability Certificate, allotment order. संलग्न किये गये हैं किन्तु प्रस्तुत Estimate में निम्न तथ्य अपूर्ण है।
 - a. प्रस्ताव में 450 rmt पक्की दीवार ली गई है किन्तु केएमएल फाईल अनुसार प्रस्ताव में 91 Mt ही वनभूमि के साथ सम्मिलित है।
 - b. पक्की दीवार 4 फीट ली गई है, जिसे 6 फीट लिया जाना है।
 - c. खड्डों का एलायमेंट 4620 का लिया गया है जबकि कुल 5000 खड्डे खोदे जाने हैं।

अतः प्रॉकलन में अपेक्षित सुधार कर संशोधित क्षतिपूर्ति योजना अपलोड करावें।

उक्त आक्षेपों का प्रतिउत्तर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उक्त आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

दिनांक 03/02/24

क्रमांक: एफ. 14()2016/एफसीए/प्रमुवसं./388-83

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़।
2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड. द्वितीय प्रतापगढ़ मु. अरनोद (राज.)।

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक उदयपुर

क्रमांक: एफ. 14()2016/एफसीए/प्रमुवसं./1064 दिनांक:- 13-02-2024

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ को प्रेषित कर
निवेदन है कि संदर्भित पत्र में उल्लिखित आक्षेपों को दूर कर संशोधित क्षतिपूर्ति योजना अपलोड कर
हार्ड कॉपी भी मिलवाना सुनिश्चित करें।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

उप वन संरक्षक (अशासन)

कार्या. संभागीय मुख्य वन संरक्षक

उदयपुर
Scanned with CamScanner